



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 15.08.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 571/24 व मु0अ0सं0 572/24 धारा 457/380/411 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 04 दरांती, 02 पेचकस, 01 प्लास, 01 लकड़ी का टुकड़ा व 05 किलो ग्राम तार बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

1-दिनांक 27.06.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी रणवीर पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम सुन्हेड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उसकी ट्यूबवैल से केबिल, नरेन्द्र पुत्र ईश्वर सिंह की ट्यूबवैल से केबिल व फावडा आदि, महिपाल पुत्र हुक्मे की ट्यूबवैल से छत्त फाडकर दवाई, केबिल व रणवीर पुत्र राजसिंह की ट्यूबवैल से केबिल व बिजली मशीन तथा महकसिंह पुत्र दीपचन्द की ट्यूबवैल से लोहे का सामान प्लास, पेचकस चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 571/2024 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया ।



2-दिनांक 28.06.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी अजब सिंह पुत्र श्री चन्दकीराम निवासी ग्राम आनन्दपुर उर्फ बन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा रात्रि में उसकी ट्यूबवैल के कमरे का

ताला तोडकर 6-6 मीटर के 02 सबमर्सिबल के तार काटकर चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 572/2024 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 571/24 व मु0अ0सं0 572/24 धारा 457/380 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 04 दरांती, 02 पेचकस, 01 प्लास, 01 लकड़ी का टुकड़ा व 05 किलो ग्राम तार बरामद हुआ है।

नोट- उपरोक्त अभियोगों थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में ही 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आदिल पुत्र जुबेदीन निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई 04 दरांती, 02 पेचकस, 01 प्लास, 01 लकड़ी का टुकड़ा व 05 किलो ग्राम तार बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-का0 1130 सोनू तेवतिया थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनाँक-15.08.2024

थाना बालैनी पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

मनीष पुत्र राजपाल निवासी ग्राम पुरामहादेव थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2.है0 का0 416 दीपक राणा थाना बालैनी जनपद बागपत ।